क्रम संख्या–267

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0एन0–30/2006–08
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)
(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, सोमवार, 22 दिसम्बर, 2008 ई0
पौष 01, 1930 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 204/XXXVI(3)/27/2008
देहरादून, 22 दिसम्बर, 2008

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित 'उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2008' पर दिनांक 19 दिसम्बर, 2008 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 10 वर्ष 2008 के रूप में सर्व–साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2008

(अधिनियम संख्या 10, वर्ष 2008)

[भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नवत् रूप में अधिनियमित किया जाता है]

उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 का अग्रेतर संशोधन करने के लिए–

अधिनियम

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2008 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

धारा 7 की उपधारा (1) का प्रतिस्थापन

2–उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 की धारा 7 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात–

"(1) कतिपय पंजीकृत फुटकर व्यौहारियों पर प्रकल्पित कर का आरोपण :–

समस्त पंजीकृत व्यौहारियों, जिनका राज्य के भीतर, अनुसूची–II (ग) और अनुसूची–III में विनिर्दिष्ट माल और अनुसूची–I में विनिर्दिष्ट ऐसे माल के जिस पर अतिरिक्त उत्पाद–शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 के अधीन अतिरिक्त उत्पाद–शुल्क उद्ग्रहणीय हो, विक्रय को छोड़कर, सकल आवर्त किसी भी कर निर्धारण वर्ष में रु0 पचास लाख से बढ़ना न तो सम्भावित है और न उसका सकल आवर्त ऐसे कर निर्धारण वर्ष से पूर्ववर्ती कर निर्धारण वर्ष में रु0 पचास लाख से अधिक रहा है, ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के, जैसा कि विहित किया जाय, अधीन रहते हुए, वे इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कर के बदले में ऐसे विक्रय के सम्पूर्ण आवर्त पर, उक्त विनिर्दिष्ट माल के विक्रय को छोड़कर, 1 प्रतिशत की दर से कर का भुगतान करेंगे। ऐसे व्यौहारी ऐसे विक्रय पर कोई कर प्रभारित करने या संग्रहीत करने और अपने क्रय पर किसी इनपुट टैक्स के लाभ के हकदार नहीं होंगे:

परन्तु यह कि यह उपधारा ऐसे पंजीकृत फुटकर व्यौहारी पर लागू नहीं होगी, जो एक आयातकर्ता या एक विनिर्माता है तथा माल का भारत के राज्य क्षेत्र के अन्दर आयात अथवा क्षेत्र के बाहर निर्यात करता है, या संकर्म संविदा के निष्पादन में अन्तर्ग्रस्त माल के स्वामित्व का अन्तरण (चाहे माल के रूप में हो या किसी अन्य रूप में) या किसी माल का किसी भी प्रयोजनार्थ (चाहे किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए हो या न हो) उपयोग के अधिकार का अन्तरण करता है:

परन्तु यह और कि यदि कोई पंजीकृत व्यौहारी इस उपधारा के उपबन्धों के अधीन कर भुगतान का विकल्प नहीं अपनाता है, तो वह इस अधिनियम की धारा 3 के उपबन्धों के अनुसार कर के भुगतान के लिए दायी होगा।

स्पष्टीकरण–जब किसी व्यौहारी द्वारा इस उपधारा के अधीन कर के भुगतान का विकल्प चुना जाता है, तो वह वर्ष के दौरान तद्नुसार कर के भुगतान का दायी होगा, चाहे उसका विक्रय आवर्त उक्त उल्लिखित धनराशि से बढ़ भी जाता है।"

आज्ञा से,

राम दत्त पालीवाल,
सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of The 'Uttarakhand Value Added Tax (Second Amendment) Bill, 2008' (Uttarakhand Adhiniyam Sankhya 10 of 2008).

As Passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 19th December, 2008).

No. 204/XXXVI(3)/27/2008

Dated Dehradun, December 22, 2008

NOTIFICATION

Miscellaneous

THE UTTARAKHAND VALUE ADDED TAX (SECOND AMENDMENT) ACT, 2008

(ACT NO. 10 OF 2008)

Further to amend The Uttarakhand (The Uttaranchal Value Added Tax Act, 2005) Adaptation and Modification Order, 2007--

AN

Act

[Be it enacted by the Uttarakhand legislative Assembly in the Fifty Ninth Year of the Republic of India as follows]

1. (1) This Act may be called 'The Uttarakhand Value Added Tax (Second Amendment) Act, 2008. Short Title and Commencement

(2) It shall come into force with immediate effect.

2. In the Uttarakhand (The Uttaranchal Value Added Tax Act, 2005) Adaptation and Modification Order, 2007 for the existing sub-section (1) of section 7, the following sub-section shall be **substituted,** namely-- Substitution of sub-section (1) of section 7

"(1) Levy of Presumptive Tax on registered retailers:--

All registered retailers, whose gross turnover of sales within the State, excluding the sale of goods specified in Schedule-II (c) and Schedule-III, and the goods specified in Schedule-I on which additional excise duty is leviable under Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 in any assessment year, is neither likely to exceed fifty lakh rupees nor his such turnover, for the assessment year preceding such assessment year, has exceeded fifty lakh rupees, subject to such conditions and restrictions as may be prescribed, shall pay, in lieu of the tax under the provisions of this Act, a tax on the entire turnover of such sales excluding sale of goods specified above at the rate of 1% on such turnover. Such dealer shall not be entitled to charge or collect any tax on such sales and shall not be entitled to any input tax credit on his purchase:

Provided that this sub-section shall not apply to such registered retailer, who is an importer or manufacturer and imports goods within the territory of India or exports the goods outside the territory or transfers right of ownership of property (whether goods or in some other form) involved in execution of work contracts or in case of transfer of the right to use goods for any purpose (whether or not for a specified period):

Provided further that if a registered retailer does not exercise option to pay tax as per the provisions of this sub-section, he shall be liable to pay tax as per the provisions of Section 3 of this Act.

Explanation--Where a dealer has exercised the option to pay tax under this sub-section, he shall be liable to pay tax during the year accordingly even if the turnover exceeds the amount mentioned above."

By Order,

RAM DATT PALIWAL,
Secretary.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 24 विधायी/893–2008–100+500 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

क्रम संख्या–273

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0–30/2009–11
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, शुक्रवार, 26 दिसम्बर, 2008 ई0

पौष 05, 1930 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 217/XXXVI (3)/30/2008

देहरादून, 26 दिसम्बर, 2008

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित 'उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर विधेयक, 2008' पर दिनांक 24 दिसम्बर, 2008 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 13, वर्ष 2008 के रूप में सर्व–साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर अधिनियम, 2008

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 13 वर्ष, 208)

स्थानीय क्षेत्र में उपभोग, उपयोग अथवा विक्रय हेतु माल के प्रवेश पर कर के उद्ग्रहण एवं संग्रह तथा उससे सम्बन्धित अथवा आनुषंगिक विषयों के सम्बन्ध में विधि का उपबन्ध करने के लिए–

अधिनियम

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नवत् रूप में अधिनियमित किया जाता है :–

अध्याय–1

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर अधिनियम, 2008 है।

(2) यह सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में लागू होगा।

(3) यह 09 नवम्बर, 2000 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

परिभाषाएं 2. (1) इस अधिनियम में, जब तक कि विषय अथवा सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो–

(क) "कारबार" में सम्मिलित है–

(एक) कोई व्यापार, वाणिज्य या विनिर्माण अथवा व्यापार, वाणिज्य अथवा विनिर्माण की प्रकृति का कोई प्रोद्यम या समुत्थान, चाहे ऐसा व्यापार, वाणिज्य, विनिर्माण, प्रोद्यम या समुत्थान लाभ पाने के उद्देश्य से किया जाये या नहीं और चाहे ऐसे व्यापार, वाणिज्य, विनिर्माण, प्रोद्यम या समुत्थान से कोई लाभ प्रोद्भूत हो या नहीं;

(दो) किसी संकर्म संविदा के निष्पादन 'या किसी प्रयोजन के लिए माल के उपयोग करने के अधिकार का अन्तरण (चाहे किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए हो या न हो); और

(तीन) ऐसे व्यापार, वाणिज्य, विनिर्माण, प्रोद्यम या समुत्थान अथवा संकर्म संविदा अथवा पट्टा से सम्बन्धित या इनसे प्रासंगिक अथवा आनुषंगिक कोई संव्यवहार;

(ख) "ब्यौहारी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो कि अपने कारबार के दौरान, चाहे अपने स्वयं के लेखे में अथवा किसी कर्ता अथवा किसी व्यक्ति के लेखे में कोई माल स्थानीय क्षेत्र में लाता है या लिवाता है अथवा किसी स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश के बाद माल का

परिदान प्राप्त करता है अथवा परिदान प्राप्त करने का हकदार है और इसमें सम्मिलित है–

(एक) कोई स्थानीय प्राधिकरण, निगमित निकाय, कम्पनी, कोई सहकारी सोसाइटी या कोई अन्य सोसाइटी, क्लब, फर्म, अविभक्त हिन्दू कुटुम्ब अथवा व्यक्तियों का अन्य संगम, जो कि ऐसा कारबार करता है;

(दो) कोई फैक्टर, दलाल, आढ़ती, कमीशन अभिकर्ता, परिशोधी अभिकर्ता या कोई अन्य वाणिज्यिक अभिकर्ता, चाहे वह किसी भी नाम से पुकारा जाये और चाहे यहाँ इसके पूर्व उल्लिखित वर्णन का हो या न हो, जो किसी प्रकट या अप्रकट कर्ता की ओर से माल के क्रय, विक्रय, सम्भरण या वितरण करने का कारबार करता है;

(तीन) कोई नीलामकर्ता, जो किसी प्रकट या अप्रकट कर्ता के माल के विक्रय या नीलामी का कारबार करता हो और चाहे आशयित क्रेता का प्रस्ताव उसके द्वारा अथवा कर्ता के द्वारा अथवा कर्ता के नामनिर्देशिती द्वारा स्वीकार किया जाता हो;

(चार) कोई सरकार, जो कारबार के दौरान अथवा अन्यथा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से नकद अथवा आस्थगित भुगतान पर अथवा कमीशन पर पारिश्रमिक अथवा अन्य मूल्यवान प्रतिफल पर माल का क्रय, विक्रय, सम्भरण अथवा वितरण करती है;

(पांच) प्रत्येक व्यक्ति, जो राज्य के भीतर, राज्य के बाहर निवास करने वाले ब्यौहारी के अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है तथा राज्य में माल का क्रय, विक्रय, सम्भरण अथवा वितरण करता है अथवा ऐसे ब्यौहारी की ओर से निम्नलिखित रूप से कार्य करता है:–

(क) माल विक्रय अधिनियम, 1930(केन्द्रीय अधिनियम सं0 3 वर्ष 1930) में यथा परिभाषित वाणिज्यिक अभिकर्ता, या

(ख) माल या माल से सम्बन्धित हक के दस्तावेजों का प्रबन्ध करने के लिये अभिकर्ता, या

(ग) भाल की विक्रय कीमत के संग्रह या भुगतान करने के लिये अभिकर्ता या ऐसे संग्रह या भुगतान के लिये प्रत्याभूतिदाता;

(छः) कोई फर्म अथवा कम्पनी अथवा अन्य निगमित निकाय, जिसका मुख्य कार्यालय अथवा मुख्यालय राज्य के बाहर स्थित है तथा ऐसी शाखा या कार्यालय के माध्यम से माल के क्रय, विक्रय, सम्भरण अथवा वितरण

के सम्बन्ध में, जिसकी कोई शाखा अथवा कार्यालय राज्य में है;

(सात) कोई व्यक्ति, जो संकर्म संविदा के निष्पादन में अन्तर्ग्रस्त माल (चाहे वह माल के रूप में हो या किसी अन्य रूप में) में सम्पत्ति के अन्तरण का कारबार करता है;

(आठ) कोई व्यक्ति, जो नकद, आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिये किसी माल के किसी भी प्रयोजनार्थ (चाहे किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये हो या न हो) उपयोग करने के अधिकार के अन्तरण का कारबार करता है;

(नौ) कोई व्यक्ति, जो कारबार प्रकृति के यदा–कदा संव्यवहारों के दौरान, चाहे स्वयं के लेखे में अथवा कर्ता के लेखे में अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लेखे में, कोई माल स्थानीय क्षेत्र में लाता है या लिवाता है अथवा किसी स्थानीय क्षेत्र से माल के प्रवेश के बाद माल का परिदान प्राप्त करता है अथवा परिदान प्राप्त करने का हकदार है।

स्पष्टीकरणः– इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु शब्द "कारबार के दौरान" में कारबार की स्थापना अथवा प्रारम्भ के दौरान सम्मिलित होगा।

(ग) **"माल का प्रवेश"**, से उसके व्याकरणीय रूप–भेद और सजातीय पदों सहित निम्नलिखित रूप में माल का प्रवेश वहाँ उपभोग, उपयोग अथवा विक्रय हेतु अभिप्रेत है,

(एक) स्थानीय क्षेत्र के भीतर– ऐसे क्षेत्र के बाहर के किसी अन्य स्थान से;

(दो) स्थानीय क्षेत्र के भीतर– राज्य के बाहर के किसी स्थान से;

(तीन) स्थानीय क्षेत्र के भीतर– भारत क्षेत्र के बाहर के किसी स्थान से;

(घ) **"स्थानीय क्षेत्र"** से निम्नलिखित क्षेत्र अभिप्रेत हैं–

(एक) उत्तर प्रदेश नगरनिगम अधिनियम, 1959 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) के अधीन कोई नगरनिगम,

(दो) उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) के अधीन कोई नगरपालिका,

(तीन) उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) के अधीन कोई जिला पंचायत अथवा क्षेत्र पंचायत,

(चार) यूनाइटेड प्रोविन्सेज पंचायत राज ऐक्ट, 1947

(उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) के अधीन कोई ग्राम पंचायत,

(पांच) कैन्टोनमेन्ट्स ऐक्ट 1924 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) के अधीन कोई छावनी (कैन्टोनमेन्ट),

(छः) उत्तर प्रदेश इण्डस्ट्रियल एरिया डेवलपमेन्ट ऐक्ट, 1976 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) के अधीन कोई औद्योगिक विकास क्षेत्र,

(सात) कोई औद्योगिक टाउनशिप, चाहे किसी नाम से पुकारा जाये,

(आठ) संसद अथवा राज्य विधान सभा के किसी नियम के अधीन कोई स्थानीय प्राधिकरण, चाहे किसी नाम से पुकारा जाये;

(ङ) **"अनुसूची"** से इस अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;

(च) **"अनुसूचित माल"** से इस अधिनियम की अनुसूची में उल्लिखित माल अभिप्रेत है;

(ज) **"कर"** से इस अधिनियम के अधीन उद्ग्रहणीय कर अभिप्रेत है;

(झ) **"माल का मूल्य"** से किसी माल का मूल क्रय बीजकों अथवा बिलों से अभिनिश्चित मूल्य अभिप्रेत है और इसमें पैकिंग सामग्री का मूल्य, पैकिंग तथा अग्रेषण प्रभार, बीमा प्रभार, उत्पादन शुल्क का प्रतिनिधित्व करने वाली धनराशियां, प्रतिशुल्क, सीमा शुल्क तथा इस प्रकार के अन्य शुल्क, कोई प्रभारित फीस अथवा कर, परिवहन प्रभार, ढुलाई प्रभार तथा ऐसे माल, जो स्थानीय क्षेत्र के भीतर वहाँ उपभोग, उपयोग अथवा विक्रय हेतु लाया जा रहा है अथवा प्राप्त किया जा रहा है, के क्रय एवं परिवहन से सम्बन्धित कोई प्रभार सम्मिलित है;

परन्तु यह कि जहां कोई माल–

(एक) क्रय किया गया है तथा उसका मूल्य किसी दस्तावेज के प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत न किये जाने के कारण अभिनिश्चत नहीं किया जा सकता है, अथवा

(दो) क्रय किया गया है तथा ब्यौहारी अथवा प्रभारी व्यक्ति द्वारा घोषित मूल्य किसी दस्तावेज के प्राप्त न होने अथवा प्रस्तुत न किये जाने के कारण उसका सत्यापन नहीं किया जा सकता है; अथवा

(तीन) क्रय किया गया है तथा क्रय कीमत अथवा परिवहन प्रभार एवं अन्य प्रभार के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज विश्वास के योग्य नहीं है; अथवा

(चार) क्रय के अन्यथा प्राप्त अथवा अभिप्राप्त किया

गया है। 'माल के मूल्य' का आशय उस मूल्य अथवा कीमत से होगा, जिस पर उसी प्रकार तथा उसी गुणवत्ता का माल स्थानीय क्षेत्र में, जिसके भीतर माल उपभोग, उपयोग अथवा विक्रय हेतु लाया जा रहा है अथवा प्राप्त किया जा रहा है, खुले बाजार में थोक कीमत पर बेचा जाता है अथवा बिकने योग्य है।

स्पष्टीकरणः— इस खण्ड के अधीन किसी माल की थोक कीमत के अभिनिश्चय के प्रयोजन हेतु, थोक कीमत में क्रेता द्वारा उत्पाद शुल्क अथवा किसी अन्य शुल्क के रूप में संदत्त या देय कोई धनराशि सम्मिलित होगी, किन्तु, स्थानीय क्षेत्र के भीतर प्रवेश के बाद माल के लिए किये गये किसी कार्य के लिए प्रभारित कोई धनराशि अथवा उसी प्रकार अथवा उसी प्रकार की गुणवत्ता के माल की बिक्री के सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन देय कर सहित फीस अथवा टैक्स की देय कोई धनराशि सम्मिलित नहीं होगी।

(क) **"निधि"** से उत्तराखण्ड व्यापार, विकास निधि (उत्तराखण्ड ट्रेड डेवलपमेन्ट फण्ड) अभिप्रेत है;

(ख) शब्द और पद, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हुए हैं किन्तु परिभाषित नहीं है, उनका वही अर्थ होगा, जो कि उन्हें उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 अथवा तद्न्तर्गत बनाये गये नियमों में समनुदेशित किया गया है।

इस अधिनियम के अधीन प्राधिकारी

3. (1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के क्रियान्वयन हेतु—

(क) वाणिज्य कर विभाग के कमिश्नर, वाणिज्य कर, एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर तथा ज्वाइण्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर क्रमशः कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर एवं ज्वाइण्ट कमिश्नर होंगे और वे क्रमशः कमिश्नर, प्रवेश कर, एडिशनल कमिश्नर, प्रवेश कर एवं ज्वाइण्ट कमिश्नर, प्रवेश कर के रूप में पदाभिहित होंगे;

(ख) उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अपील अधिकारी तथा अधिकरण के अध्यक्ष एवं सदस्य क्रमशः प्रवेश कर के अपील अधिकारी तथा अधिकरण के अध्यक्ष एवं सदस्य होंगे;

(ग) वाणिज्य कर विभाग में तैनात सभी डिप्टी कमिश्नर तथा असिस्टैन्ट कमिश्नर, प्रवेश कर के डिप्टी कमिश्नर तथा असिस्टैन्ट कमिश्नर होंगे तथा उसी प्रकार

वाणिज्य कर विभाग में तैनात सभी वाणिज्य कर अधिकारी, प्रवेश कर अधिकारी होंगे।

(घ) राज्य सरकार अथवा कमिश्नर वाणिज्य कर द्वारा किसी वाणिज्य कर मण्डल (सर्किल) में तैनात वाणिज्य कर अधिकारी से अनिम्न पद का कोई अधिकारी, राज्य सरकार अथवा कमिश्नर वाणिज्य कर द्वारा उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 की धारा 42 तथा 43 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत अधिकारी तथा उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 की धारा 47 के अधीन स्थापित किसी जांच चौकी पर तैनात वाणिज्य कर अधिकारी से अनिम्न पद के अधिकारी इस अधिनियम के अधीन करनिर्धारक प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करेंगे।

(ङ) अधिकरण के अध्यक्ष एवं सदस्यों के सिवाय, इस अधिनियम के अधीन सभी अधिकारी तथा प्राधिकारी, कमिश्नर के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करेंगे तथा कमिश्नर, अपील प्राधिकारी के सिवाय, उसके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन किसी भी अधिकारी में निहित शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सक्षम होगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन प्राधिकारियों का क्षेत्राधिकार वही होगा, जैसा कि राज्य सरकार अथवा कमिश्नर, वाणिज्य कर द्वारा उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से नियत अथवा अभिनिश्चित किया जाये।

कर का उद्ग्रहण **4.** (1) राज्य में व्यापार, वाणिज्य तथा उद्योग के विकास के प्रयोजन हेतु स्थानीय क्षेत्र के भीतर उपभोग, उपयोग अथवा विक्रय हेतु उस स्थानीय क्षेत्र के बाहर किसी स्थान से अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल के प्रवेश पर ऐसी दर से, जो माल के मूल्य के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, जैसी कि राज्य सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये, कर का उद्ग्रहण अथवा माल के भिन्न-भिन्न वर्गों पर भिन्न-भिन्न दरें विनिर्दिष्ट की जा सकती है;

परन्तु यह कि राज्य सरकार अधिसूचना के द्वारा अनुसूची में संशोधन कर सकती है और ऐसी अधिसूचना के जारी होने पर उपधारा (10) के

प्राविधानों के अध्यधीन अनुसूची तद्नुसार संशोधित समझी जायेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन उद्ग्रहीत कर उस समय तक उद्ग्रहीत किया जाता रहेगा, जिस समय तक व्यापार, वाणिज्य और उद्योग के लिए अधिक उन्नत व्यापार की परिस्थितियां प्रशस्त करने की दृष्टि से राज्य में बिजली, सड़क बाजार की परिस्थितियॉ इत्यादि अवसंरचना को उन्नत करने के लिए अपेक्षित है।

(3) उपधारा (1) के अधीन उद्ग्रहीत कर उस ब्यौहारी द्वारा देय होगा, जो ऐसा माल, चाहे अपने लेखे में अथवा अपने कर्ता के लेखे में स्थानीय क्षेत्र के भीतर लाता है अथवा लिवाता है अथवा ऐसे माल का स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश पर परिदान लेता है अथवा परिदान लेने का हकदार है;

परन्तु यह कि राज्य सरकार अधिसूचना के द्वारा ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जैसी कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाये, विद्युत (पावर) के उत्पादन, संचरण और वितरण में संलग्न किसी पावर प्रोजेक्ट इण्डस्ट्रीयल यूनिट को, जिसका सकल पूंजीगत निवेश एक हजार करोड़ रुपये या उससे अधिक है, उस स्थानीय क्षेत्र के बाहर किसी स्थान से स्थानीय क्षेत्र के भीतर ऐसे माल के, जो कि उक्त इकाई द्वारा उपयोग तथा उपभोग किया जाये, प्रवेश पर दूसरे ब्यौहारियों के कर भुगतान की देयता को अपने ऊपर लेने की अनुमति दे सकती है।

स्पष्टीकरणः— जहां माल के स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश पर उसका परिदान लिया जाता है अथवा ब्यौहारी से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा स्थानीय क्षेत्र में लाया जाता है तो ब्यौहारी, जो ऐसे व्यक्ति से माल का परिदान लेता है, स्थानीय क्षेत्र में माल को लाने वाला अथवा लिवाने वाला समझा जायेगा।

(4) राज्य सरकार अधिसूचना के द्वारा, अधिसूचना में अधिसूचित शर्तों के अधीन यह सुनिश्चित करने के लिए, कि पावर प्रोजेक्ट इण्डस्ट्रीयल यूनिट में उपभोग अथवा उपयोग हेतु स्थानीय क्षेत्र के बाहर किसी स्थान से स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर प्रभावी कर दरें राज्य की ऊर्जा नीति के प्रारम्भ की तिथि पर लागू क्रमिक कर की दरों से अधिक न हो जाये, उस सीमा तक, जितना आवश्यक हो, कर की धनराशि में छूट दे सकती है।

(5) कोई ब्यौहारी, जो किसी स्थानीय क्षेत्र के भीतर माल लाता है या लिवाता है कर का दायी नहीं होगा। यदि वित्तीय वर्ष के दौरान ऐसे माल का सकल मूल्य पॉच लाख रुपये से या ऐसी अधिक धनराशि से, जैसी राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना के द्वारा या तो किसी माल के सभी ब्यौहारियों के मामले में अथवा ऐसे ब्यौहारियों के किसी विशेष वर्ग के मामले में विनिर्दिष्ट की जाये कम हो;

परन्तु यह कि इस उपधारा के उपबन्ध उत्तराखण्ड के बाहर से स्थानीय क्षेत्र में लाये गये माल के मूल्य के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे।

(6) उपधारा (1) अथवा उपधारा (3) में किसी बात के होते हुए भी ऐसे ब्यौहारी, जो स्थानीय क्षेत्र के भीतर कोई माल लाता है अथवा लिवाता है जो कि उस स्थानीय क्षेत्र के बाहर ले जाने के उद्देश्य से स्थानीय क्षेत्र के भीतर उसके द्वारा बेच दिया जाता है तथा वह माल वास्तव में बाहर ले जाया जाता है, उस पर कोई कर उद्ग्रहीत तथा संग्रहीत नहीं किया जायेगा;

परन्तु यह कि यदि स्थानीय क्षेत्र के भीतर किसी माल के प्रवेश के समय ऐसे स्थानीय क्षेत्र में उपयोग, उपभोग अथवा बिक्री के बगैर स्थानीय क्षेत्र के बाहर ले जाने के उद्देश्य से ऐसे स्थानीय क्षेत्र के भीतर बिक्री किये जाने वाले माल की मात्रा तथा मूल्य अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता तो ब्यौहारी माल की सकल मात्रा के मूल्य पर कर की धनराशि का भुगतान करेगा तथा ऐसे स्थानीय क्षेत्र के बाहर ले जाने के उद्देश्य से तथा, जबकि माल वास्तव में बाहर ले जाया जाता है, ऐसे स्थानीय क्षेत्र के भीतर माल विक्रय किये जाने के बाद ब्यौहारी इस अधिनियम की धारा 5 में प्राविधानित रीति के अनुसार कर की संदत्त धनराशि की वापसी का दावा कर सकता है;

परन्तु अग्रेतर यह कि इस तथ्य को साबित करने का भार, कि कोई माल स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश के बाद ऐसे स्थानीय क्षेत्र के बाहर उपभोग, उपयोग अथवा विक्रय के उद्देश्य से बिक्री किया गया तथा वास्तव में ऐसे स्थानीय क्षेत्र के बाहर ले जाया गया, माल की बिक्री करने वाले ब्यौहारी के ऊपर होगा।

(7) जहां माल का कोई अकेला परेषण, जो कि अंशतः स्थानीय क्षेत्र के भीतर उपभोग, उपयोग अथवा बिक्री के लिए है तथा अंशतः ऐसे स्थानीय क्षेत्र के बाहर किसी स्थान के लिए अंतरण के लिए है, किसी ब्यौहारी

द्वारा ऐसे स्थानीय क्षेत्र के भीतर लाया जाता है अथवा प्राप्त किया जाता है और जहाँ स्थानीय क्षेत्र में उपभोग, उपयोग अथवा विक्रय किये जाने वाले माल का मूल्य अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता, तो ब्यौहारी परेषण के सभी माल के मूल्य पर कर का भुगतान करेगा तथा किसी माल के उपरोक्त रूप से अंतरण होने के बाद इस विधेयक की धारा 5 में प्राविधानित रीति से ऐसे अन्तरित माल के सम्बन्ध में कर के रूप में संदत्त धनराशि की वापसी का दावा कर सकता है;

परन्तु यह कि इस तथ्य को साबित करने का भार, कि कोई माल स्थानीय क्षेत्र में लाने अथवा प्राप्त करने के बाद ऐसे स्थानीय क्षेत्र के बाहर बगैर वहां उपभोग, उपयोग अथवा विक्रय के अन्तरण कर दिया गया है, वापसी का दावा करने वाले ब्यौहारी के ऊपर होगा।

(8) जहां माल के स्थानीय क्षेत्र के भीतर प्रवेश के सम्बन्ध में कर देय है और उसे अभिकर्ता द्वारा संदत्त कर दिया गया है तो कर्ता कर के भुगतान के लिए दायी नहीं होगा और उसी तरह जहां स्थानीय क्षेत्र के भीतर किसी माल के प्रवेश के सम्बन्ध में कर देय है तथा उसे कर्ता द्वारा संदत्त कर दिया गया है तो अभिकर्ता कर के भुगतान के लिए दायी नहीं होगा।

(9) जहां किसी–

(एक) क्रय किये गये अनुसूचित माल के सम्बन्ध में– (क) ऐसे माल का मूल्य अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता अथवा ब्यौहारी अथवा माल के प्रभारी व्यक्ति द्वारा ऐसे माल का घोषित मूल्य, जैसी भी स्थिति हो, किसी दस्तावेज के अप्राप्य होने अथवा प्रस्तुत न किये जाने के कारण सत्यापन योग्य नहीं है, अथवा

(ख) क्रय मूल्य अथवा परिवहन प्रभार एवं अन्य प्रभार के समर्थन में प्रस्तुत कोई दस्तावेज विश्वास योग्य नहीं है, अथवा

(दो) अनुसूचित माल के सम्बन्ध में, जो कि क्रय के रूप के अन्यथा प्राप्त अथवा अभिप्राप्त किया गया है माल के प्रभारी व्यक्ति अथवा ब्यौहारी, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा घोषित ऐसे माल का मूल्य युक्तियुक्त तथा विश्वास के योग्य प्रतीत नहीं होता है, तो माल के प्रभारी व्यक्ति अथवा ब्यौहारी, जैसी भी स्थिति हो, को सुनवाई का मौका देने के पश्चात

किसी स्थानीय क्षेत्र में, जिसमें ऐसा माल लाया जा रहा है, खुले बाजार में कर निर्धारक प्राधिकारी द्वारा युक्तियुक्त रूप से अवधारित थोक मूल्य, माल का मूल्य समझा जायेगा और इस प्रयोजन हेतु खण्ड (एक) के संदर्भ में कर निर्धारक प्राधिकारी की यह धारणा होगी कि माल क्रय के रूप के अन्यथा प्राप्त अथवा अभिप्राप्त किया गया है।

(10) इस धारा के अधीन जारी की गयी प्रत्येक अधिसूचना, जारी किये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो, उसके एक सत्र या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में, जो कम से कम कुल चौदह दिन की अवधि पर्यन्त चले, रखी जायेगी और जब तक कि कोई बाद की तारीख नियत न की जाये, गजट में प्रकाशित होने की तारीख से, ऐसे उपान्तरणों या वातिलीकरणों के अध्यधीन रहते हुए, जो राज्य विधान सभा उक्त अवधि में करने के लिए सहमत हो, प्रभावी होगी, किन्तु इस प्रकार का कोई उपान्तरण या वातिलीकरण सम्बद्ध अधिसूचना के अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, सिवाय इस बात के, कि कर या अर्थदण्ड का आरोपण, निर्धारण, लगाया जाना अथवा वसूल किया जाना उक्त उपान्तरण या वातिलीकरण के अधीन होगा।

कर के उद्ग्रहण का विलोमितिकरण

5. (1) जहां कोई ब्यौहारी धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित माल स्थानीय क्षेत्र के भीतर उसके प्रवेश पर वहां उपभोग, उपयोग अथवा विक्रय हेतु लाया है अथवा लिवाया है तथा ऐसे स्थानीय क्षेत्र में ऐसे माल के प्रवेश के सम्बन्ध में कर का भुगतान किया है तो ऐसे कर का उद्ग्रहण विलोमित होगा तथा उपधारा (3) के उपबन्धों के अध्यधीन, ब्यौहारी द्वारा कर के रूप में संदत्त धनराशि ऐसे ब्यौहारी को निम्नलिखित परिस्थितियों में वापस की जायेगी:—

(क) जहां माल, ऐसे स्थानीय क्षेत्र में उपयोग के बिना विक्रेता ब्यौहारी को क्रय की तारीख से 6 माह के भीतर वापस कर दिया जाये,

(ख) जहां माल, ऐसे स्थानीय क्षेत्र में उपयोग के बिना, राज्य के बाहर किसी स्थान को परेषित कर दिया जाये,

(ग) जहां माल ऐसे स्थानीय क्षेत्र में उपयोग के बिना वहां उपभोग, उपयोग अथवा विक्रय के लिए किसी अन्य स्थानीय क्षेत्र को परेषित कर दिया जाये,

(घ) जहां माल, या तो अन्तर्राज्यीय व्यापार अथवा वाणिज्य के दौरान अथवा भारत क्षेत्र के बाहर माल के निर्यात के दौरान पुनः विक्रय कर दिया जाये,

(ङ) जहां कोई अनुसूचित माल ऐसे स्थानीय क्षेत्र के बाहर ले जाने के लिए विक्रय किया जाय तथा वास्तव में बाहर ले जाया जाये।

स्पष्टीकरणः– यह अवधारित करने के लिए कि ब्यौहारी द्वारा कोई माल अन्तर्राज्यीय व्यापार अथवा वाणिज्य के दौरान अथवा भारत क्षेत्र के बाहर माल के निर्यात के दौरान बेचा गया है अथवा नहीं, केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956(संख्या 74 वर्ष 1956) की धारा 3 तथा धारा 5 लागू होगी।

(2) जहां किसी ब्यौहारी द्वारा स्थानीय क्षेत्र के भीतर किसी माल के प्रवेश के सम्बन्ध में कर का भुगतान किया गया है किन्तु स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश के पूर्व माल नष्ट हो जाता है तो कर के रूप में संदत्त कोई धनराशि ब्यौहारी को उपधारा (3) के उपबन्धों के अध्यधीन वापस कर दी जायेगी।

(3) उपधारा (1) अथवा उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार वापसी योग्य पायी गयी कोई धनराशि प्रथमतः ब्यौहारी के विरुद्ध बकाया किसी धनराशि में समायोजित की जायेगी और शेष धनराशि, यदि कोई हो, ब्यौहारी को वापस की जायेगी;

परन्तु यह कि जहॉ किसी स्थानीय क्षेत्र में उपयोग अथवा विक्रय के बिना कोई माल किसी अन्य स्थानीय क्षेत्र में वहां उपयोग, उपभोग अथवा बिक्रय के लिए स्वंय को परिदान हेतु परेषित किया जाता है तो वापसी योग्य पायी गयी धनराशि ऐसे स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश के सम्बन्ध में देय कर की धनराशि में समायोजित की जायेगी।

छूट (रिबेट) 6. जहां धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित किसी अनुसूचित माल के सम्बन्ध में ऐसे माल की बिक्री अथवा खरीद के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 के अधीन उस अधिनियम में पंजीकृत किसी ब्यौहारी द्वारा कर देय है तथा किसी स्थानीय क्षेत्र के भीतर ऐसे माल के प्रवेश से पूर्व के भुगतान की देयता प्रोदभूत हो गयी है तो राज्य सरकार, अधिसूचना के द्वारा तथा ऐसी शर्तों एवं निर्बन्धनों जैसी कि उसमें विनिर्दिष्ट की जायें, के अध्यधीन, इस अधिनियम के अधीन उद्ग्रहणीय कर की

सम्पूर्ण धनराशि तक छूट अनुमन्य कर सकती है।

छूट 7. जहां राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि ऐसा करना लोकहित में समीचीन है, वह अधिसूचना के द्वारा ऐसी शर्तों एवं निर्बन्धनों, जैसी कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जायें, के अध्यधीन किसी माल अथवा माल के किसी वर्ग को अथवा ब्यौहारियों के किसी वर्ग को कर से मुक्त कर सकती है।

पंजीकरण 8. (1) उपधारा (2) के उपबन्धों के अध्यधीन, प्रत्येक ब्यौहारी, जो कर भुगतान करने का दायी है, विहित रीति से पंजीयन शुल्क जमा के सबूत के साथ पंजीयन मंजूर करने के लिए जिस तारीख को वह इस अधिनियम के अधीन कर भुगतान का दायी होता है, के 30 दिन के भीतर कर निर्धारक प्राधिकारी को प्रार्थनापत्र देगा;

परन्तु यह कि जिस ब्यौहारी के पास उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 अथवा उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 के अधीन स्वीकृत पंजीयन प्रमाणपत्र है, यदि उपरोक्त समय के भीतर प्रार्थनापत्र के विहित प्ररूप में वांछित सूचनाएं दे देता है तो वह इस अधिनियम के अधीन पृथक पंजीयन प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए दायी नहीं होगा और इस अधिनियम के सभी प्रयोजनों के लिए ऐसा ब्यौहारी पंजीकृत ब्यौहारी समझा जायेगा;

परन्तु यह और कि यदि कोई सरकारी विभाग नियमित कारबार में संलग्न नहीं है तो सरकार को इस अधिनियम के अधीन पंजीयन प्रमाणपत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(2) जहां किसी ब्यौहारी का उत्तराखण्ड राज्य के भीतर कोई निश्चित स्थान नहीं है तो वह इस अधिनियम के अधीन पंजीयन प्राप्त करने के लिए दायी नहीं होगा।

(3) इस अधिनियम के अधीन पंजीयन प्रमाणपत्र मंजूर करने के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 की धारा 15, 16, 17, 18 ,19, 20, 21 तथा धारा 22 के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे, जैसे कि वे उस अधिनियम के अधीन पंजीयन प्रमाणपत्र मंजूर करने के लिए लागू होते हैं।

विवरणियों का प्रस्तुतिकरण तथा 9. (1) इस अधिनियम के अधीन पंजीयन प्राप्त करने के लिए दायी प्रत्येक ब्यौहारी अपने कर निर्धारक

कर निर्धारण

प्राधिकारी को ऐसी रीति से, ऐसी कर अवधियों के लिए तथा ऐसे समय के भीतर, जैसा कि विहित किया जाये, अनुसूचित माल के मूल्य की ऐसी विवरणियां, विवरणी में दिखायी गयी कर की धनराशि के जमा के सबूत के साथ दाखिल करेगा;

परन्तु यह कि कर निर्धारक प्राधिकारी ब्यौहारी के प्रार्थना पत्र पर पर्याप्त कारणों के आधार पर ब्यौहारी को विहित समय के पश्चात् भी विवरणी दाखिल करने की अनुमति दे सकता है।

(2) धारा 8 की उपधारा (2) में सन्दर्भित ब्यौहारी के अन्यथा प्रत्येक ब्यौहारी, जो कर के भुगतान करने का दायी है, कर निर्धारक प्राधिकारी को प्रत्येक कर निर्धारण वर्ष के लिए स्वयं निर्धारित कर की सालाना विवरणी ऐसी रीति से तथा ऐसे समय के भीतर जैसा कि विहित किया जाये, दाखिल करेगा;

परन्तु यह कि कर निर्धारक प्राधिकारी ब्यौहारी के प्रार्थनापत्र पर पर्याप्त कारणों के आधार पर विवरणी दाखिल करने के लिए 90 दिन की अवधि तक समय बढ़ा सकता है।

(3) जहां–

(क) किसी ब्यौहारी ने उपधारा (1) में सन्दर्भित सभी कर अवधियों के लिए विवरणियां तथा उपधारा (2) में सन्दर्भित स्वयं निर्धारित कर की सालाना विवरणी दाखिल कर दी है,

(ख) प्रथमदृष्टया यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि ब्यौहारी ने किसी अनुसूचित माल का मूल्य छिपाया है अथवा अन्यथा कर के भुगतान का अपवंचन किया है, तथा

(ग) ब्यौहारी ने ना तो कर के रूप में जमा किसी धनराशि की वापसी का दावा किया है और न किसी अनुसूचित माल के सम्बन्ध में धारा 5 के अधीन कर की धनराशि के विलोमितिकरण का दावा किया है,

कर निर्धारक प्राधिकारी ब्यौहारी की उपस्थिति की अपेक्षा के बिना, स्वतः निर्धारित कर की विवरणी को स्वीकार करेगा;

परन्तु यह कि जहां कर निर्धारक प्राधिकारी का यह दृष्टिकोण है कि–

(एक) विवरणी में दिखाया गया देय कर लागू कर की दर से संगणित नहीं किया गया है, अथवा

(दो) कर की संगणना में गणितीय त्रुटि है, अथवा

(तीन) किसी छूट या रियायत का किसी प्रमाणपत्र अथवा किसी विहित प्रमाणपत्र अथवा घोषणापत्र के आधार पर दावा किया गया है किन्तु ऐसे घोषणापत्र अथवा प्रमाणपत्र का प्ररूप दाखिल नहीं किया गया है, तो वह ब्यौहारी को स्वतः कर निर्धारण की संशोधित सालाना विवरणी नोटिस की तामीली के 15 दिन के भीतर दाखिल करने के लिए नोटिस जारी करेगा और यदि कर निर्धारक प्राधिकारी का स्वतः कर निर्धारण की संशोधित विवरणी से समाधान हो जाता है तो वह स्वतः कर निर्धारण की संशोधित विवरणी को स्वीकार करेगा।

(4) ब्यौहारी से भिन्न ब्यौहारी, जिसके मामले में उपधारा (3) के अधीन करनिर्धारक प्राधिकारी द्वारा कर का स्वतः निर्धारण स्वीकार किया जाना है में, कर निर्धारक प्राधिकारी ऐसी जॉच, जैसा कि वह ठीक समझे, और ब्यौहारी को सुनवायी का युक्तियुक्त मौका देने के बाद स्थानीय क्षेत्र में वहां उपभोग, उपयोग अथवा बिक्री के लिए लाये गये अथवा लिवाये गये अनुसूचित माल का मूल्य तथा ब्यौहारी द्वारा देय कर की धनराशि का अवधारण करेगा;

परन्तु यह कि कोई भी बात कर निर्धारक प्राधिकारी को अनुसूचित माल का मूल्य तथा ब्यौहारी द्वारा देय कर की धनराशि का अवधारण सर्वोच्च न्याय एवं विवेक के अनुसार करने से नहीं रोकेगी जहां–

(क) अनुसूचित माल के सम्बन्ध में ब्यौहारी ने लेखे नहीं रखे हैं, अथवा

(ख) ब्यौहारी ने अनुसूचित माल के सम्बन्ध में रखे गये लेखे तथा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये हैं, अथवा

(ग) ब्यौहारी द्वारा प्रस्तुत लेखे तथा दस्तावेज कर निर्धारक प्राधिकारी द्वारा विश्वास योग्य नहीं पाये गये हैं, अथवा

(घ) स्थानीय क्षेत्र में लाये गये अथवा प्राप्त किये गये अनुसूचित माल का मूल्य ब्यौहारी द्वारा प्रस्तुत लेखों तथा दस्तावेजों से सत्यापन नहीं किया जा सकता हो।

अनन्तिम कर निर्धारण

10. (1) जहॉ कोई ब्यौहारी, जिस पर धारा 9 की उपधारा(1) लागू होती है, स्थानीय क्षेत्र के भीतर अनुसूचित माल के प्रवेश पर ऐसे माल के मूल्य तथा देयकर की विवरणी विहित समय अथवा अनुमन्य समय

के भीतर दाखिल करने में असमर्थ रहता है अथवा ऐसी विवरणी में दिखाये गये देय कर के जमा का सबूत नहीं देता है, अथवा कर निर्धारक प्राधिकारी के मतानुसार दाखिल विवरणी गलत अथवा अपूर्ण है, अथवा गलत विवरणों से युक्त है तो कर निर्धारक प्राधिकारी, धारा 9 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किन्तु सुनवायी का युक्तियुक्त अवसर देने के बाद, अनुसूचित माल की कीमत तथा उस पर देयकर का अनन्तिम निर्धारण कर सकता है।

(2) जहां कर निर्धारक प्राधिकारी द्वारा उपधारा (1) के अधीन करनिर्धारण कर दिया गया है तो ऐसे कर निर्धारण के कारण उस अनुसूचित माल के मूल्य के पुनः अवधारण तथा पूरे वर्ष के लिए कर का निर्धारण करने से नहीं रोकेगा।

कर का समाधान

11. (1) जहां किसी अनुसूचित माल के सम्बन्ध में कोई ब्यौहारी इस अधिनियम के अधीन कर के भुगतान के लिए दायी है, किन्तु उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 के अधीन यथा परिभाषित ब्यौहारी की परिभाषा के अन्तर्गत नहीं आता है जो वह इस धारा के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन स्थानीय क्षेत्र में ऐसे माल को लाने अथवा प्राप्त करने अथवा ऐसे माल का परिदान लेने से पूर्व ऐसे माल के अनुसूचित माल के सम्बन्ध में माल के अनुमानित मूल्य पर कर के भुगतान का विकल्प अपना सकता है।

(2) प्रत्येक ब्यौहारी, जिसका उत्तराखण्ड राज्य के भीतर कारबार का कोई निश्चित स्थान नहीं है, इस धारा के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन, स्थानीय क्षेत्र के भीतर लाने अथवा प्राप्त करने अथवा ऐस माल के परिदान लेने से पूर्व अनुसूचित माल के सम्बन्ध में अनुसूचित माल के अनुमानित मूल्य पर कर का भुगतान करेगा।

(3) प्रत्येक व्यक्ति या ब्यौहारी, जो उपधारा (1) अथवा उपधारा (2) के अन्तर्गत नहीं आता है और जो कि इस अधिनियम के अधीन कर के भुगतान के लिए दायी है, स्थानीय क्षेत्र के भीतर लाने अथवा प्राप्त करने अथवा ऐसे माल के परिदान लेने से पूर्व, ऐसे अनुसूचित माल के सम्बन्ध में माल के अनुमानित मूल्य पर कर का भुगतान करने का विकल्प ले सकता है।

(4) उपधारा (1), (2) एवं (3) में सन्दर्भित कोई ब्यौहारी अथवा व्यक्ति, जैसी भी स्थिति हो, एक बार किसी

करनिर्धारण वर्ष के लिए इस धारा में कर के भुगतान करने का विकल्प अपनाता है तो उस करनिर्धारण वर्ष की किसी अवधि के लिए किसी अन्य रीति से कर के भुगतान के लिए अपने विकल्प में परिवर्तन करने का हकदार नहीं होगा।

(5) कोई ब्यौहारी, जो इस धारा के उपबन्धों के अधीन कर का भुगतान करता है, धारा 9 में सन्दर्भित विवरणियों को दाखिल करने के लिए दायी नहीं होगा।

(6) जहां इस धारा के अधीन किसी माल के सम्बन्ध में कर का भुगतान कर दिया गया है तो धारा 9 के अधीन ऐसे माल के सम्बन्ध में कोई कर निर्धारण नहीं किया जायेगा।

(7) धारा 4 की उपधारा (9) के उपबन्ध समस्त माल पर, जिसके स्थानीय क्षेत्र के भीतर प्रवेश के सम्बन्ध में इस धारा के अधीन कर का भुगतान किया जाना है, लागू होंगे।

विनिर्माता के माध्यम से कर की वसूली

12. (1) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई माल, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय, राज्य के भीतर किसी विनिर्माता से स्थानीय क्षेत्र के भीतर लाने का इच्छुक है, विनिर्माता से माल का परिदान लेने के समय स्थानीय क्षेत्र के भीतर ऐसे माल के प्रवेश पर देय कर का भुगतान विनिर्माता को करेगा तथा इस प्रकार से संदत्त कर को विनिर्माता प्राप्त करेगा। विनिर्माता ऐसा माल क्रेता को नहीं देगा, जब तक कि क्रेता द्वारा ऐसे कर की धनराशि का भुगतान नहीं किया जाता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन कर प्राप्त करने वाला विनिर्माता माल के सम्भरण तथा प्राप्त कर के सम्बन्ध में एक विवरणी करनिर्धारक प्राधिकारी को दाखिल करेगा तथा इस प्रकार प्राप्त कर ऐसी रीति तथा ऐसे समय के भीतर, जैसा कि विहित किया जाय, जमा करेगा।

(3) जहां कोई विनिर्माता इस धारा के अधीन कर को जमा करने मे असफल रहता है तो वह उस पर देय ब्याज और अर्थदण्ड, यदि कोई हो, के साथ कर का भुगतान करने का दायी होगा जो कि मालगुजारी के रूप में वसूला जायेगा।

(4) जहां कर निर्धारक प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि उपधारा (1) में सन्दर्भित कोई माल विनिर्माता के

द्वारा उसके परिदान के बाद तथा स्थानीय क्षेत्र के भीतर उसके प्रवेश के पूर्व खो जाता है अथवा नष्ट हो जाता है तो वह यह निर्देश देगा कि ऐसे माल के सम्बन्ध में संदत्त कर उस व्यक्ति को वापस किया जायेगा, जिसने उपधारा (1) के अधीन कर का भुगतान किया था;

परन्तु यह कि ऐसी वापसी का कोई दावा माल के खो जाने अथवा नष्ट हो जाने की तारीख से 6 माह के समाप्त होने के बाद ग्रहण नहीं किया जायेगा।

(5) उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 की धारा 35 के अधीन कर की धनराशि की कटौती के सम्बन्ध में अर्थदण्ड के अधिरोपण से सम्बन्धित उपबन्ध तथा उक्त अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (4) के अधीन ब्याज की देयता से सम्बन्धित उपबन्ध इस धारा के अधीन विनिर्माताओं द्वारा क्रेताओं से संग्रहित धनराशियों पर आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 के कुछ उपबन्धों का लागू होना

13. उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 के निम्नलिखित उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों सहित इस अधिनियम के अधीन सभी ब्यौहारियों एवं सभी कार्यवाहियों पर लागू होंगे:—

(एक) धारा 3 (7)(ङ)(i) एवं (ii) नयी फर्मों तथा कारबार बन्द करने वाली फर्मों का दायित्व,
(दो) धारा 8 सांपत्तिक सम्मुत्थान का दायित्व;
(तीन) धारा 9 फर्म इत्यादि के मामले में दायित्व;
(चार) धारा 10 अप्राप्तवय और असमर्थ व्यक्तियों के मामले में कर दायित्व;
(पांच) धारा 11 कोर्ट ऑफ वार्ड्स, आदि के मामले में कर दायित्व;
(छः) धारा 16 स्वैच्छिक पंजीयन;
(सात) धारा 17 की उपधारा (11) कारबार में परिवर्तन सम्बन्धी भेजे जाने वाली सूचना;
(आठ) धारा 20 राजस्व के हित में प्रतिभूति;
(नौ) धारा 25 की उपधारा (10) कर निर्धारण वर्ष के दौरान कर की दर में परिवर्तन के कारण कर का निर्धारण;
(दस) धारा 29 करनिर्धारण से छूट गये आवर्त का निर्धारण;

(ग्यारह) धारा 30 भूल का सुधार;
(बारह) धारा 31 करनिर्धारण के किसी आदेश को अपास्त करने की शक्ति;
(तेरह) धारा 33 आवर्त और कर आदि को पूर्णांकित करना;
(चौदह) धारा 34 कर का भुगतान और उसकी वसूली;
(पन्द्रह) धारा 34 की उपधारा (20) वसूली अथवा वापसी की छोटी–मोटी धनराशि की अवज्ञा;
(सोलह) धारा 36 वापसी;
(सत्रह) धारा 40 ब्यौहारी द्वारा कर के रूप में गलत वसूल की गई धनराशि का संवितरण;
(अठारह) धारा 42 लेखों को दिखाने की आज्ञा देने की शक्ति और प्रवेश और निरीक्षण करने की शक्ति;
(उन्नीस) धारा 43 माल को अभिग्रहण करने की शक्ति;
(बीस) धारा 46 पुलिस आदि से सहायता लेने की शक्ति;
(इक्कीस) धारा 47 जांच चौकियों और नाकों की स्थापना;
(बाईस) धारा 48 घोषणा–पत्र द्वारा राज्य के बाहर से माल आयात करना;
(तेईस) धारा 49 रेल, नदी, वायुमार्ग या डाक द्वारा राज्य के भीतर माल का आयात;
(चौबीस) धारा 50 राज्य से होकर सड़क से माल का प्रेषण और माल के पारंगमन के लिये प्राधिकार का जारी किया जाना;
(पच्चीस) धारा 51 प्रथम अपील;
(छब्बीस) धारा 52 कमिश्नर द्वारा पुनरीक्षण;
(सत्ताईस) धारा 53 अपील अधिकरण के समक्ष अपील;
(अठ्ठाईस) धारा 55 उच्च न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण;
(उन्तीस) धारा 56 आदेश जिसके विरुद्ध अपील या पुनरीक्षण दाखिल नहीं किया जायेगा;
(तीस) धारा 57 विवादग्रस्त प्रश्नों का अवधारण;
(इक्तीस) धारा 58 अपराध एवं अर्थदण्ड;
(बत्तीस) धारा 59 लेखों का रख–रखाव;
(तैंतीस) धारा 64 अधिकारिता के प्रति आपत्ति;
(चौंतीस) धारा 66 साबित करने का भार;
(पैंतीस) धारा 67 अपील मे अतिरिक्त साक्ष्य;

(छत्तीस) धारा 68 क्षतिपूर्ति (इन्डेमनिटि)
(सैंतीस) धारा 69 कतिपय कार्यवाहियों पर रोक;
(अढ़तीस) धारा 70 कुछ ऐसी सूचना जो गोपनीय होगी;
(उन्तालिस) धारा 72 पूर्वगामी प्रभाव से अधिसूचनाएं जारी करने की शक्ति;
(चालीस) धारा 73 राजस्व को कपट वंचित करने के लिये किये गये अन्तरण का शून्य होना;
(इक्तालीस) धारा 74 कतिपय मामलों में फीस;
(बयालिस) धारा 75 किस्तें मंजूर करने का अधिकार;
(तैंतालिस) धारा 77 रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के लिये सुविधा;

उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 के उपबन्धों के अधीन क्रय अथवा विक्रय अथवा दोनों के आवर्त का कोई सन्दर्भ इस अधिनियम के अधीन अनुसूचित माल के मूल्य का सन्दर्भ समझा जायेगा।

इस अधिनियम के अधीन उद्ग्रहण के आगम का उपयोग

14. (1) इस अधिनियम के अधीन उद्ग्रहण का आगम फण्ड (निधि) में विनियोजित किया जायेगा और अनन्य रूप से उत्तराखण्ड राज्य में व्यापार, वाणिज्य तथा उद्योग के विकास अथवा उनको प्रशस्त करने के लिए उपयोग किया जायेगा, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होगा:–

(क) बाजार तथा औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ने के लिए सड़कों तथा पुलों का निर्माण, विकास तथा रख–रखाव;

(ख) वित्तीय, औद्योगिक और वाणिज्यिक इकाइयों को वित्त, सहायता, अनुदान तथा सहायिकी (सब्सिडि) का प्रबन्धन;

(ग) उद्योगों को बिजली तथा पानी की पूर्ति, बाजार और अन्य वाणिज्यिक प्रक्षेत्रों के लिए अवसंरचना का सृजन;

(घ) व्यापार, वाणिज्य और उद्योग को सामान्य रूप से आगे बढ़ाने के लिए अन्य अवसंरचना का सृजन, विकास तथा रख रखाव;

(ङ) सम्बन्धित क्षेत्रों में प्रदूषण मुक्त पर्यावरण का सृजन, विकास तथा रख–रखाव के लिए वित्त, सहायता, अनुदान और सहायिकी (सब्सिडि) का प्रबन्धन;

(च) व्यापार, वाणिज्य और उद्योग अथवा उससे सम्बन्धित सुविधाओं से जुड़ा कोई अन्य प्रयोजन जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे;

(छ) खण्ड (क), (ग), (घ), (ङ) तथा (च) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों हेतु स्थानीय निकायों तथा सरकारी ऐजेन्सियों के लिए वित्त, सहायता, अनुदान तथा सहायिकी का प्रबन्ध करना;

(2) इस अधिनियम के अधीन उद्ग्रहीत तथा संग्रहीत प्रवेश कर उत्तराखण्ड व्यापार विकास निधि में जमा किया जायेगा तथा अनन्य रूप से व्यापार, वाणिज्य तथा उद्योग को प्रशस्त करने के लिए उपयोग किया जायेगा। प्रवेश कर के रूप में प्राप्त धनराशि का उपयोग उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अन्यथा नहीं किया जायेगा।

(3) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा समुचित लेखाशीर्ष के अन्तर्गत कर जमा करने और उद्ग्रहण का आगम उत्तराखण्ड राज्य में अनन्य रूप से व्यापार एवं वाणिज्य के विकास में उपयोग करने की रीति को विनिर्दिष्ट करेगी।

कठिनाइयों का निवारण करने की शक्ति

15. (1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई आती है तो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे उपबन्ध बना सकती है जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों तथा जो कठिनाइयों के निवारण के लिए आवश्यक अथवा समीचीन प्रतीत हों;

परन्तु यह कि इस प्रकार का कोई आदेश इस अधिनियम के अधिसूचित होने की तारीख से दो वर्ष की समाप्ति के बाद नहीं किया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के किसी आदेश के अधीन बनाये गये उपबन्धों का वही प्रभाव होगा मानो कि इस अधिनियम में अधिनियमित किये गये हों और ऐसा कोई आदेश उस तिथि जो कि इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से पूर्वतर न हो, की सीमा तक भूतलक्षी किया जा सकता है।

(3) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश इसके किये जाने के बाद शीघ्रातिशीघ्र विधान सभा के समक्ष रखा जायेगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23क की उपधारा (1) के उपबन्ध लागू होंगे जैसे कि वे राज्य सरकार द्वारा किसी उत्तराखण्ड अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के सम्बन्ध में लागू होते हैं।

नियम बनाने की शक्ति

16. राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

विधिमान्यकरण

17. (1) किसी न्यायालय, अधिकरण अथवा प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री अथवा आदेश के होते हुए भी, सभी की गयी कार्यवाहियां, किये गये कार्य, बनाये गये नियम अथवा तात्पर्यित रूप से लिये गये, किये गये, बनाये गये, जारी किये गये तथा उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2000) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 के अधीन प्रवेश कर का उद्ग्रहण, निर्धारण, संग्रहण, वसूली, प्राप्ति अथवा प्रोद्भूत देयता इस अधिनियम के अधीन विधिमान्य रूप से लिया गया, किया गया, बनाया गया, जारी किया गया, उद्ग्रहीत, निर्धारित, संग्रहीत, वसूल किया गया, प्राप्त अथवा प्रोद्भूत समझा जायेगा, मानो कि यह अधिनियम सभी तात्विक समय में प्रवृत्त रहा हो तथा प्रवेश कर की वापसी के लिए किसी न्यायालय अथवा अधिकरण अथवा किसी प्राधिकरण के समक्ष कोई वाद अथवा अन्य कार्यवाही नहीं चलायी जायेगी अथवा जारी नहीं रखी जायेगी।

(2) एतद्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि उपधारा (1) में कोई बात किसी व्यक्ति को अधिनियम के अधीन प्रवेश कर की देय धनराशि से अधिक संदत्त धनराशि की वापसी का दावा करने से रोकने के लिए नहीं समझी जायेगी, बशर्ते कर का भार किसी अन्य पर न डाला गया हो।

निरसन और व्यावृत्ति

18. (1) उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2000) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007, एतद्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपरोक्त अधिनियम के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए किया गया कोई कार्य अथवा की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए किया गया अथवा की गयी समझी जायेगी, मानो कि यह अधिनियम सभी तात्विक समय में प्रवृत्त रहा हो।

अनुसूची

1– केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 14 में यथा परिभाषित अपरिष्कृत तेल।
2– रुपये 10 लाख या उससे अधिक मूल्य की मशीनरी तथा मशीनरी के स्पेयर पार्ट्स।
3– प्राकृतिक गैस।
4– नॉन लेवी चीनी।
5– सिगरेट के रूप में तम्बाकू।
6– अखबारी कागज (न्यूजप्रिन्ट) को छोडकर लेखन, छपाई अथवा पैकिंग के प्रयोजन हेतु कागज।
7– तम्बाकू युक्त पान मसाला (गुटखा)।
8– सीमेंट।
9– कोयला।
10– भारत क्षेत्र के बाहर से आयातित बल्लियों सहित किसी भी जाति के सभी किस्म तथा सभी पेड़ों की लकड़ी तथा इमारती लकड़ी तथा बॉस चाहे उगता हुआ अथवा चीरा गया।
11– हाई स्पीड डीजल, लो सल्फर हाई स्पीड डीजल, अल्ट्रा लो सल्फर हाई स्पीड डीजल, लाइट डीजल ऑयल, सुपीरियर केरोसीन ऑयल, फरनेस ऑयल, रेजिड्यूल ऑयल, लो सल्फर हैवी स्टॉक्स, हैवी पेट्रोलियम स्टॉक्स तथा उनके विभिन्न प्रकार किन्तु लोक वितरण प्रणाली के मिट्टी के तेल को छोड़कर।
12– क्लिंकर।
13– ट्रैक्टरों को छोड़कर सभी प्रकार की मोटर गाड़ियां, उनके चैसिस को सम्मिलित करते हुए।
14– केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 14 में यथा परिभाषित लोहा एवं इस्पात।
15– एल्यूमिनियम बर्तनों को छोड़कर एल्यूमिनियम तथा उसके उत्पाद।
16– सभी प्रकार के केबिल।
17– लैपटॉप, कम्प्यूटर सिस्टम तथा पैरीफेरल्स, एल0सी0डी0 सहित टेलीविजन।
18– साइकिल, साइकिल रिक्शा तथा पशुचालित गाड़ियों के टायर तथा ट्यूब को छोड़कर टायर तथा ट्यूब।
19– संगमरमर पत्थर (मारबल स्टोन्स) तथा उनके टायल।
20– रेफ्रिजिरेटर, एयर–कन्डिशनर तथा एयर–कन्डिशनिंग प्लान्ट।

आज्ञा से,

राम दत्त पालीवाल,
सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of 'The Uttarakhand Tax on Entry of Goods into Local Areas Bill, 2008' (Uttarakhand Adhiniyam Sankhya 13 of 2008) :--

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 24 December, 2008

No. 217/XXXVI(3)/30/2008
Dated Dehradun, December 26, 2008

NOTIFICATION

Miscellaneous

THE UTTARAKHAND TAX ON ENTRY OF GOODS INTO LOCAL AREAS ACT, 2008
(UTTARAKHAND ACT No. 13 of 2008)

AN

ACT

To provide for levy and collection of tax on entry of goods into a local area for consumption, use or sale therein and for matters connected therewith or incidental thereto-

Be it enacted by the Uttarakhand Legislative Assembly in the Fifty-ninth year of the Republic of India as follows:-

CHAPTER I
Preliminary

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Act may be called the Uttarakhand Tax on Entry of Goods into Local Areas Act, 2008.

(2) It extends to the whole of Uttarakhand.

(3) It shall be deemed to have come into force on 09th November, 2000.

Definitions

2. **(1)** - In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context:-

(a) "Business" includes-

(i) any trade, commerce or manufacture or any adventure or concern in the nature of trade, commerce or manufacture, whether or not such trade, commerce, manufacture, adventure or concern is carried on with a motive to make profit and whether or not any profit accrues from such trade, commerce, manufacture, adventure or concern;

(ii) the execution of any works contract or the transfer of the right to use any goods for any purpose (whether or not for a specified period), and

(iii) any transaction in connection with or incidental or ancillary to or resulting from such trade, commerce, manufacture, adventure or concern or works contract or lease,

(b) "dealer" means any person, who in the course of business whether on his own account or on account of a principal or any other person, brings or causes to be brought into a local area any goods or takes delivery or is entitled to take delivery of goods on its entry into a local area and includes-

(i) a local authority, body corporate, company, any co-operative society or other society, club, firm, Hindu undivided family or other association of persons which carries on such business;

(ii) a factor, broker, arhati, commission agent, del credere agent or

any other mercantile agent, by whatever name called and whether of the same description as hereinbefore mentioned or not, who carries on the business of buying, selling, supplying or distributing goods belonging to any principal, whether disclosed or not;

(iii) an auctioneer who carries on the business of selling or auctioning goods belonging to any principal, whether disclosed or not, and whether the offer of the intending purchaser is accepted by him or by the principal or nominee of the principal;

(iv) a Government which, whether in the course of business or otherwise, buys, sells, supplies or distributes goods, directly or otherwise for cash or for deferred payment or for commission, remuneration or other valuable consideration;

(v) every person who acts within the State as an agent of a dealer residing outside the State and buys, sells, supplies or distributes goods in the State or acts on behalf of such dealer as-

(a) a mercantile agent as defined in the Sale of Goods Act, 1930(Central Act No. 3 of 1930); or

(b) an agent for handling of goods or documents of title relating to goods; or

(c) an agent for the collection or the payment of the sale price of goods or as a guarantor for such collection or such payment;

(vi) a firm or a company or other body corporate, the principal office or headquarters whereof is outside the State, having a branch or office in the State, in respect of purchases or sales, supplies or distribution of goods through such branch or office;

(vii) every person who carries on the business of transfer of property in goods (whether as goods or in some other form) involved in the execution of a works contract;

(viii) every person who carries on business of transfer of the right to use any goods for any purpose (whether or not for a specified period) for cash, deferred payment or other valuable consideration;

(ix) any person who, in the course of occasional transactions of business nature, whether on his own account or on account of a principal or any other person brings or causes to be brought into a local area any goods or takes delivery or is entitled to take delivery of goods on its entry into local area;

Explanation:- For the purposes of this Act the expression "in the course of business" shall include in the course of establishment or commencement of business.

(c) **"Entry of goods"**, with all its grammatical variations and cognate expressions, means, entry of goods;

(i) into a local area from any place outside such area;

(ii) into a local area from any place outside the State;

(iii) into a local area from any place outside the Territory of India, for consumption, use or sale therein;

(d)**"local area"** means the territorial area of-

(i) a Municipal Corporation under the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act,1959; (As applicable to the State of Uttarakhand)
(ii) a Municipality under the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916; (As applicable to the State of Uttarakhand)
(iii) a Zila Panchayat or a Kshettra Panchayat under the Uttar Pradesh Kshettra Panchayats and Zila Panchayats Adhiniyam, 1961; (As applicable to the State of Uttarakhand)
(iv) a Gram Panchayat under the United Provinces Panchayat Raj Act, 1947; (As applicable to the State of Uttarakhand)
(v) a Cantonment under the Cantonments Act, 1924; (As applicable to the State of Uttarakhand)
(vi) any Industrial Development Area under the Uttar Pradesh Industrial Area Development Act, 1976; (As applicable to the State of Uttarakhand)
(vii) an Industrial Township by whatever name called,
(viii) any other local authority by whatever name called under an Act of the Parliament or the State Legislature.

(e) **"Schedule"** means a Schedule appended to this Act;

(f) **"Scheduled Goods"** means any goods mentioned in the Schedule to this Act;

(g) **"Tax"** means tax leviable under this Act;

(h) **"Value of goods"** means the value of any goods as ascertained from original purchase invoice or bill and includes value of packing material, packing and forwarding charges, insurance charges, amounts representing excise duty, countervailing duty, custom duty and other like duties, amount of any fee or tax charged, transport charges, freight charges and any other charges relating to purchase and transportation of such goods into the local area in which goods are being brought or received for consumption, use or sale therein:

Provided that where any goods have been-
(i) purchased and the value thereof is not ascertainable on account of non availability or non production of any document; or
(ii) purchased and the value declared by the dealer or the person incharge is not verifiable on account of non-availability or non production of any document; or
(iii) purchased and a document produced in support of purchase price or transport charges and other charges, is not worthy of credence; or
(iv) acquired or obtained otherwise than by way of purchase, the 'value of goods' shall mean the value or the price at which the goods of the like kind or like quality is sold or is capable of being sold at wholesale price in the open market in the local area in which goods are being brought or received for consumption, use or sale.

Explanation :- For the purpose of ascertaining whole sale price of any goods under this clause the whole sale price shall include any amount paid or payable by the purchaser as excise duty or any other duty but shall not include any amount charged for anything done to the goods after entry of goods into the local area or any amount of fee or tax including tax under this Act payable in respect of the goods of the like kind or like quality.

(a) "**Fund**" means the Uttarakhand Trade Development Fund.

(b) **Words and expressions** used in this Act, but not defined shall have the meanings assigned to them in the The Uttarakhand (The Uttaranchal Value Added Tax Act, 2005) Adaptation and Modification Order, 2007 or the rules framed thereunder.

Authorities under this Act

3. (1) For carrying out the purposes of this Act,-

(a) the Commissioner of Commercial Tax, Additional Commissioner of Commercial Tax and Joint Commissioner of Commercial Tax of the Commercial Tax Department shall be the Commissioner, Additional Commissioner and Joint Commissioner respectively, and they will be designated as Commissioner of Entry Tax, Additional Commissioner of Entry Tax and Joint Commissioner of Entry Tax respectively;

(b) appellate authority and Chairman and members of the Tribunal appointed by the State Government under The Uttarakhand (The Uttaranchal Value Added Tax Act, 2005) Adaptation and Modification Order, 2007 shall function as appellate authority and the Chairman and members of Tribunal of Entry Tax respectively;

(c) all Deputy Commissioners and the Assistant Commissioners posted in the Department of the Commercial Tax shall be the Deputy Commissioners and Assistant Commissioners of Entry Tax and likewise all Commercial Tax Officers posted in the Department of Commercial Tax shall be the Entry Tax Officers;

(d) any officer not below the rank of a Commercial Tax Officer, posted in a Commercial Tax Circle either by the State Government or the Commissioner Commercial Tax, Officers authorised by the State Government or the Commissioner Commercial Tax to exercise powers under Sections 42 and 43 of The Uttarakhand (The Uttaranchal Value Added Tax Act, 2005) Adaptation and Modification Order, 2007 and Officers, not below the rank of Commercial Tax Officer, posted at a Check-Post established under section 47 of The Uttarakhand (The Uttaranchal Value Added Tax Act, 2005) Adaptation and Modification Order, 2007, shall exercise the powers of the assessing authority under this Act;

(e) All officers or authorities under this Act except Chairman and the members of the Tribunal shall work under the Administrative control of the Commissioner and the Commissioner shall be competent to exercise powers vested in any officer under his administrative control except appellate authority.

(2) The territorial jurisdiction of authorities under this Act shall be the same as may be fixed or determined by the State Government or the Commissioner of Commercial Tax for the purpose of carrying out purposes of The Uttarakhand (The Uttaranchal Value Added Tax Act, 2005) Adaptation and Modification Order, 2007.

Levy of tax

4. (1) For the purpose of development of trade, commerce and industry in the State, there shall be levied and collected a tax on

entry of goods specified in the Schedule into a local area for consumption, use or sale therein, from any place outside that local area, at such rate not exceeding five percent of the value of the goods as may be specified by the State Government by notification and different rates may be specified in respect of different goods or different classes of goods;

Provided that the State Government may by notification amend the Schedule and upon issue of any such notification, the Schedule shall, subject to the provisions of sub-section (10), be deemed to be amended accordingly.

(2) The tax levied under sub-section (1) shall be continued to be levied till such time as is required to improve infra-structure within the State such as power, road, market condition etc. with a view to facilitate better market conditions for trade, commerce and industry.

(3) The tax levied under sub-section (1) shall be payable by a dealer who brings or causes to be brought into the local area such goods, whether on his account or on the account of his principal or takes delivery or is entitled to take delivery of such goods on its entry into a local area:

Provided that the State Government may by notification, permit any Power Project Industrial Unit engaged in generation, transmission and distribution of power, having aggregate capital investment of rupees one thousand crore or more to own the liability of payment of tax of other dealers on the entry of such goods into a local area from any place out side that local area as are used and consumed by the said unit subject to such conditions as may be specified in the notification.

Explanation :-Where the goods are taken delivery of on its entry into a local area or brought into a local area by a person other than a dealer, the dealer who takes delivery of the goods from such person shall be deemed to have brought or caused to have brought the goods into the local area.

(4) The State Government may by notification remit the amount of tax to the extent necessary to ensure that effective rates of tax on entry of goods into a local area, from any place out side the local area for consumption or use in a Power Project Industrial Unit, do not exceed the respective rates applicable as on the date of commencement of State Energy Policy subject to the conditions as may be notified in such notifications.

(5) No dealer who brings or causes to be brought any goods into a local area shall be liable to tax, if during the assessment year the aggregate value of such goods is less than five lakh rupees or such larger amount as the State Government may by notification specify in that behalf either in respect of all dealers in any goods or in respect of a particular class of such dealers:

Provided that the provisions of this sub-section, shall not apply in respect of value of the goods brought into a local area from outside Uttarakhand.

(6) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) or sub-section (3), no tax shall be levied on and collected from a dealer who brings or causes to be brought into a local area any goods which are sold by him within the local area for the purpose of being taken out of that area and are actually taken out:

Provided that where at the time of entry of any goods into a local area, the quantity or value of goods to be sold within such local area for the purpose of being taken outside the local area without consumption, use or sale in such local area is not ascertainable, the dealer shall pay amount of tax on the value of total quantity of goods and after the goods are sold within the local area for the purpose of being taken outside such local area and are actually taken out, the dealer may claim refund of the amount paid as tax in respect of such goods, in the manner provided in section 5 of this Act:

Provided further that the burden of proving the fact that any goods after entry into a local area were sold for the purpose of being taken outside the local area for consumption, use or sale outside such area and were actually taken outside such local area shall lie on the dealer selling the goods.

(7) Where a single consignment of goods, partially meant for consumption, use or sale within a local area and partially meant for transfer to any place outside such local area, is brought or received by a dealer into such local area and where value of the goods to be consumed, used or sold in the local area is not ascertainable, the dealer shall pay tax on the value of all goods of the consignment and shall, after any goods are transferred as aforesaid, may claim refund of the amount, paid as tax in respect of goods so transferred in the manner provided in section 5 of this Act:

Provided that the burden of proving the fact that any goods, after bringing or receiving into a local area, has been transferred outside such local area without consumption, use or sale therein shall lie on the dealer claiming refund.

(8) Where tax, in respect of entry of any goods into a local area, is payable and has been so paid by the agent, the principal shall not be liable for payment of tax and likewise where tax, in respect of entry of any goods into a local area, is payable and has been so paid by the principal, the agent shall not be liable for payment of tax.

(9) Where in respect of any-

(1) purchased scheduled goods-

(a) value of such goods is not ascertainable or value of

such goods, as declared by the dealer or the person in-charge of the goods, as the case may be, is not verifiable on account of non-availability or non-production of any document; or

(b) any document produced in support of purchase price or transport charges and other charges, is not worthy of credence; or

(2) scheduled goods, acquired or obtained otherwise than by way of purchase, value of such goods disclosed by the person in-charge of the goods or the dealer, as the case may be, does not appear to be reasonable and worthy of credence,

then the whole-sale price, in the open market in a local area in which such goods are being brought, reasonably determined by the assessing authority, after affording reasonable opportunity of being heard to the person in-charge of the goods or the dealer, as the case may be, shall be deemed to be, the value of goods, and for this purpose in reference to clause (i), the assessing authority shall assume that goods have been acquired or obtained otherwise than by way of purchase.

(10) Every notification made under this section shall, as soon as may be after it is made, be laid before the State Legislature, while it is in session, for a total period of not less than fourteen days, extending in its one session or more than one successive sessions and shall unless some later date is appointed take effect from the date of its publication in Gazette subject to such modifications or annulments as the Legislature may during the said period agree to make, so however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder except that any imposition, assessment, levy or collection of tax or penalty shall be subject to the said modification or annulment.

Reversal of levy of tax

5. (1) Where any dealer has brought or has caused to be brought or has taken delivery of any goods notified under sub-section (1) of section 4 on its entry into a local area, for consumption, use or sale therein and has paid tax in respect of entry of such goods into such local area, such levy of tax shall stand reversed and subject to provisions of sub-section (3), the amount, paid by the dealer as tax, shall be refunded to such dealer in the following circumstances:-

(a) Where purchased goods, without using them in such local area, are returned to the selling dealer within a period of six months from the date of purchase;

(b) Where goods, without using them in such local area, are consigned to any place outside the State;

(c) Where goods, without using them in the local area, are consigned to any place in any other local area for consumption, use or sale therein;

(d) Where goods are re-sold either in the course of inter-state

trade or commerce or in the course of the export of the goods out of the territory of India;

(e) Where any scheduled goods are sold for being taken outside such local area and are actually taken out.

Explanation: Sections 3 and 5 of the Central Sales Tax Act, 1956, (Act No.74 of 1956) shall apply for the purpose of determining whether or not any goods has been sold by a dealer in the course of inter-state trade or commerce and whether or not any goods has been sold in the course of the export of the goods out of the territory of India.

(2) Where a dealer has paid tax in respect of entry of any goods into any local area but goods are destroyed before entry into the local area, any amount paid as tax shall, subject to provisions of sub-section (3), be refunded to the dealer.

(3) Any amount found refundable to a dealer in accordance with provisions of sub-section (1) or sub-section (2) shall first be adjusted towards any amount outstanding against the dealer and the balance amount, if any, shall be refunded to the dealer:

Provided that where goods, without use or sale in any local area, are consigned for delivery to self in any other local area for consumption, use or sale therein, the amount, found refundable, shall be adjusted towards the amount of tax payable in respect of entry of such goods in such other local area.

Rebate

6. Where in respect of any scheduled goods notified under sub-section (1) of section 4, tax is payable in respect of a sale or purchase of such goods under The Uttarakhand (The Uttaranchal Value Added Tax Act, 2005) Adaptation and Modification Order, 2007, by a dealer registered under the said Act, and liability for payment of tax has accrued before entry of such goods into any local area, the State Government may, by notification and subject to such conditions and restrictions, as may be specified therein, allow a rebate up to the full amount of tax leviable under this Act.

Exemption

7. Where the State Government is satisfied that it is expedient in the public interest so to do, it may, by notification, exempt subject to such conditions and restrictions as may be specified in the notification, any goods or class of goods from levy of tax, or class of dealers from the payment of the tax.

Registration

8. (1) Subject to the provisions of sub-section (2) every dealer liable to pay tax shall apply to the assessing authority for grant of registration certificate in the prescribed manner along with proof of deposit of Registration fee within thirty days from the date on which he becomes liable to pay tax under this Act:

Provided that a dealer who holds a registration certificate granted under the provisions of the Uttaranchal (The Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948) Adaptation and Modification Order, 2002 or under The Uttarakhand (The Uttaranchal Value Added Tax Act, 2005) Adaptation and Modification Order, 2007, if, furnishes required information in the prescribed form of

application within the aforesaid time, shall not be liable to obtain separate registration certificate under this Act and for all purposes of this Act, such dealer shall be deemed to be a registered dealer:

Provided further that a Government shall not be required to obtain registration certificate under this Act if such Government Department is not engaged in regular business.

(2) Where a dealer has no fixed place of business within the State of Uttarakhand, he shall not be liable for obtaining registration under this Act.

(3) In respect of grant of registration certificate under this Act, provisions of Sections 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 and Section 22 of The Uttarakhand (The Uttaranchal Value Added Tax Act, 2005) Adaptation and Modification Order, 2007, shall mutatis mutandis apply as they apply to grant of Registration Certificate under that Act.

Submission of returns and assessment of tax

9. (1) Every dealer liable to obtain registration under this Act, shall submit such returns of value of scheduled goods along with proof of deposit of amount of tax shown payable in the return to its assessing authority in such manner, for such tax periods and within such time as may be prescribed:

Provided that the assessing authority on the application of the dealer may, for sufficient reason, allow the dealer to submit return beyond prescribed time.

(2) Every dealer liable to pay tax, other than a dealer referred in sub-section (2) of section 8, shall submit to the assessing authority for each assessment year, an annual return of self assessed tax in such manner and within such time as may be prescribed:

Provided that the assessing authority on the application of the dealer may, for sufficient reason, extend the time for submitting the return up to a period of ninety days.

(3) Where-

(a) a dealer has submitted returns for all tax periods referred to in sub-section (1) and the annual return of self assessed tax referred to in sub-section (2);

(b) prima facie there is no reason to believe that the dealer has suppressed value of any scheduled goods or has otherwise evaded payment of tax; and

(c) the dealer has neither claimed refund of any amount deposited as tax nor has, in respect of any scheduled goods, claimed reversal of amount of tax under section5,

the assessing authority shall, without requiring appearance of the dealer, accept the return of self assessed tax:

Provided that where the assessing authority is of the view that-

(i) tax shown payable in the return has not been computed at the applicable rate of tax; or

(ii) there is mathematical error in computation of tax; or

(iii) any exemption or concession has been claimed on the basis of any certificate or any prescribed certificate or declaration but such form of declaration or certificate has not been submitted, he shall issue notice to the dealer for submitting revised annual return of self assessment within fifteen days from the date of service of the notice and if the assessing authority is satisfied with the revised return of self assessment, he shall accept the revised return of self assessment:

(4) In case of a dealer other than the dealer in whose case self assessment of tax is to be accepted by the assessing authority under sub-section (3), the assessing authority shall, after making such enquiry as it may deem fit and after affording reasonable opportunity of being heard to the dealer, determine the value of the scheduled goods brought or received by the dealer into any local area for consumption, use or sale therein and the amount of tax payable by the dealer:

Provided that nothing shall prevent the assessing authority from determining such value of scheduled goods and the amount of tax payable by the dealer according to its best judgment assessment where-

(a) the dealer has not maintained account books in respect of scheduled goods; or

(b) the dealer has not produced accounts and documents maintained by him in respect of scheduled goods; or

(c) accounts and documents produced by the dealer are not found worthy of credence by the assessing authority; or

(d) value of scheduled goods brought or received in any local area is not verifiable from the accounts and documents produced by the dealer.

Provisional assessment of tax

10. (1) Where a dealer to whom sub-section (1) of section 9 applies fails to submit return of value of the scheduled goods and tax payable on entry of such goods into a local area within the time prescribed or allowed under that section or does not furnish proof of deposit of tax shown payable in such return, or the return submitted is, in the opinion of assessing authority, incorrect or incomplete or contains wrong particulars, the assessing authority may, without prejudice to the provisions of section 9 but after giving reasonable opportunity of being heard to the dealer, make provisional assessment of value of scheduled goods and the tax payable thereon.

(2) Where the assessing authority has made a provisional assessment under sub-section (1), it shall not, by reason of such assessment, be precluded from re-determining the value of the scheduled goods and making the assessment of tax for the whole year.

Composition of tax

11. (1) Where in respect of any scheduled goods, a dealer is liable for payment of tax under this Act but does not fall within the definition of a dealer as defined under sub-section (11) of section

2 of The Uttarakhand (The Uttaranchal Value Added Tax Act, 2005) Adaptation and Modification Order, 2007, he may, subject to other provisions of this section, opt for payment of tax in respect of such scheduled goods on the estimated value of the goods before bringing or receiving or before taking delivery of such goods into a local area.

(2) Every dealer having no fixed place of business within the State of Uttarakhand shall, subject to other provisions of this section, make payment of tax in respect of scheduled goods on the estimated value of the scheduled goods before bringing or receiving or before taking delivery of such goods into a local area.

(3) Every person or dealer, who does not fall under sub section(1) or sub-section (2) and who is liable for payment of tax under this Act, may opt for payment of tax in respect of such scheduled goods on the estimated value of the goods before bringing or receiving or before taking delivery of such goods into a local area.

(4) Once a dealer or a person, as the case may be, referred to in sub-sections (1), (2) and (3), opts for payment of tax under this section for any assessment year, he shall not be entitled to change his option for payment of tax in any other manner for any period of that assessment year.

(5) Any dealer, who makes payment of tax under provisions of this section, shall not be liable for submission of returns referred to in section 9.

(6) Where payment of tax in respect of any goods has been made under this section, no assessment of tax under section 9 shall be made in respect of such goods.

(7) Provisions of sub-section (9) of section 4 shall apply to all goods in respect of entry of which into a local area, payment of tax is to be made under this section.

Realization of tax through manufacturer

12. (1) Notwithstanding anything contained in any other provision of this Act, any person who intends to bring into a local area from any manufacturer within the State, any goods specified in the Schedule, as may be notified by the State Government, shall, at the time of taking delivery of the goods from the manufacturer, pay to the manufacturer the tax payable on entry of such goods into the local area and the manufacturer shall receive the tax so paid. The manufacturer shall not give such goods to the purchaser unless the amount of such tax has been paid by the purchaser.

(2) The manufacturer receiving the tax under sub-section (1) shall submit to the assessing authority a return in respect of the goods supplied, and the tax received, by him under sub-section (1) and deposit the tax so received, in such manner and within such time as may be prescribed.

(3) Where any manufacturer fails to deposit, the tax under this section he shall be liable to pay the tax along with the interest and penalty, if any, payable thereon which shall be recoverable as arrears of land revenue.

(4) Where the assessing authority is satisfied that any goods referred to in sub-section (1) is lost or destroyed after its delivery

by the manufacturer and before its entry into the local area, it shall direct that the tax paid in respect of such goods shall be refunded to the person who had paid the tax under sub-section (1):

Provided that no claim for such refund shall be entertained after the expiry of six months from the date of the loss or destruction of the goods.

(5) Provisions regarding imposition of penalty in respect of amount of tax deducted under section 35 of The Uttarakhand (The Uttaranchal Value Added Tax Act, 2005) Adaptation and Modification Order, 2007, and provisions regarding payability of interest under sub-section (4) of section 34 of the said Act shall mutatis mutandis apply to amounts collected by manufacturers from purchasers under this section.

Applicability of certain provisions of The Uttarakhand (The Uttaranchal Value Added Tax Act, 2005) Adaptation and Modification Order, 2007

13. The following provisions of The Uttarakhand (The Uttaranchal Value Added Tax Act, 2005) Adaptation and Modification Order, 2007, shall mutatis mutandis apply to all dealers and proceedings under this Act:-

(i) Section 3(7)(e)(i) and (ii) Liability of new firms and firms discontinuing business;
(ii) Section 8 liability of a proprietary concern;
(iii) Section 9 Liability in case of a firm etc,.
(iv) Section10 Liability in case of minors and incapacitated persons;
(v) Section 11 Liability in case of court of Wards, etc.;
(vi) Section 16 voluntary registration;
(vii) Sub-section (11) of Section 17 Information to be furnished regarding change of business;
(viii) Section 20 Security in the interest of revenue;
(ix) Sub-section (10) of Section 25 Assessment of tax where rate is varied during the assessment year;
(x) Section 29 Assessment of escaped turnover;
(xi) Section 30 Rectification of mistakes;
(xii) Section 31 Power to set aside an order of assessment;
(xiii) Section 33 Rounding off, of turnover, tax etc.
(xiv) Section 34 Payment and recovery of tax;
(xv) Sub-section (20) of Section 34 Recovery or refund of petty amounts to be ignored;
(xvi) Section 36 Refund;
(xvii) Section 40 Procedure for disbursement of amount wrongly realized by dealer as tax;
(xviii) Section 42 Power to order production of accounts and powers of entry and inspection;
(xix) Section 43 Power to seize;
(xx) Section 46 Power to seek assistance from police etc.
(xxi) Section 47 Establishment of check posts and barriers;
(xxii) Section 48 Imports of goods into the State against declaration;

(xxiii) Section 49 Imports of goods into the State by Rail, River, Air and Post;
(xxiv) Section 50 Transit of goods by road through the State and issue of authorization for transit of goods;
(xxv) Section 51 first appeal;
(xxvi) Section 52 Revision by the Commissioner;
(xxvii) Section 53 Appeal to the Appellate Tribunal;
(xxviii) Section 55 Revision by the High Court;
(xxix) Section 56 Order against which no appeal or revision shall lie;
(xxx) Section 57 Determination of disputed question;
(xxxi) Section 58 Offences and Penalties;
(xxxii) Section 59 Maintenance of Accounts;
(xxxiii) Section 64 Objections to Jurisdiction;
(xxxiv) Section 66 Burden of Proof;
(xxxv) Section 67 Additional evidence in appeal;
(xxxvi) Section 68 Indemnity;
(xxxvii) Section 69 Bar to certain proceedings;
(xxxviii) Section 70 Certain information to be confidential;
(xxxix) Section 72 Power to issue notifications with retrospective effect;
(xxxx) Section 73 Transfer to defraud revenue void;
(xxxxi) Section 74 Fees in certain cases;
(xxxxii) Section 75 Power to grant instalment;
(xxxxiii) Section 77 Facility for sick industrial units;

Any reference to turnover of purchase or of sale or of both, as the case may be, under the provisions of The Uttarakhand (The Uttaranchal Value Added Tax Act, 2005) Adaptation and Modification Order, 2007, shall be deemed reference to value of the scheduled goods under this Act.

Utilization of the proceeds of the levy under this Act

14. (1) The proceeds of the levy under this Act shall be appropriated to the Fund and shall be utilized exclusively for the development or facilitating the trade, commerce and industry in the State of Uttarakhand which shall include the following:-

(a) construction, development and maintenance of roads and bridges for linking the market and industrial areas;

(b) providing finance, aids, grants and subsidies to financial, industrial and commercial units;

(c) creating infrastructure for supply of electricity and water to industries, marketing and other commercial complexes;

(d) creation, development and maintenance of other infra-structure for the furtherance of trade, commerce and industry in general;

(e) providing finance, aids, grants and subsidies for creating, developing and maintaining pollution free environment in the concerned areas;

(f) any other purpose connected with the development of trade, commerce and industry or for facilities relating thereto which the State Government may specify by notification;

(g) providing finance, aids, grants and subsidies to local bodies and government agencies for the purposes specified in clauses (a), (c), (d), (e) and (f);

(2) The entry tax levied and collected under this Act shall be credited to the Uttarakhand Trade Development Fund and shall exclusively be used for facilitating trade, commerce and industry. The amount realised as entry tax shall not be used for the purposes other than those specified in sub-section (1).

(3) The State Government shall, by notification, specify the manner of deposit of tax under appropriate Heads of Accounts and the manner in which the proceeds of the levy shall be utilized exclusively for the development of trade and commerce in the State of Uttarakhand.

Power to remove difficulties

15. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order published in the official Gazette, make such provisions, not inconsistent with the provisions of this Act as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty:

Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of two years from the date this Act is notified.

(2) The provisions made by any order under sub-section (1) shall have effect as if enacted in this Act and any such order may be made so as to be retrospective to any date not earlier than the date of commencement of this Act.

(3) Every order made under sub-section (1) shall, as soon as may be after it is made, be laid before the State Legislature and the provisions of sub-section (1) of section 23-A of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 shall apply as they apply in respect of rules made by the State Government under any Uttarakhand Act.

Power to make rules

16. The State Government may make rules for carrying out the purposes of this Act.

Validation

17. (1) Notwithstanding any judgment, decree or order of any Court, Tribunal or Authority, all actions taken, things done, rules made, notifications issued or purported to have been taken, done, made or issued and entry tax levied, assessed, collected, realised, received or liability accrued under the Uttarakhand (Uttar Pradesh Tax on Entry of Goods Act, 2000) Adaptation and Modification Order, 2007, shall be deemed to have been validly taken, done, made, issued, levied, assessed, collected, realised, received or accrued under this Act, as if this Act were in force at all material times and no suit or other proceedings shall be maintained or continued in any Court or before Tribunal or any Authority for the refund of entry tax.

(2) For the removal of doubts it is hereby declared that nothing in sub-section (1) shall be construed as preventing any person from claiming refund of entry tax paid by him in excess of the amount due from him under the Act provided the burden of tax has not been passed on.

Repeal and saving

18. (1) The Uttarakhand (Uttar Pradesh Tax on Entry of Goods Act, 2000) Adaptation and Modification Order, 2007, is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken in exercise of the powers under the said Act, shall be deemed to have been done or taken in the exercise of the powers conferred by or under this Act as if this Act were in force at all material times.

The Schedule

1- Crude oil as defined in Section 14 of the Central Sales Tax Act, 1956.
2- Machinery and spare parts of machinery valuing Rupees ten lakhs or more.
3- Natural Gas.
4- Non levy sugar.
5- Tobacco in the form of cigarette.
6- Paper meant for writing, printing or packing purpose excluding newsprint.
7- Pan masala containing tobacco(gutka).
8- Cement.
9- Coal.
10- Wood and timber of all kinds and of all trees, of whatever species including ballies and bamboos, whether growing or cut or sawn imported from outside India.
11- High speed diesel, low sulphur high speed diesel, ultra low sulphur high speed diesel, light diesel oil, superior kerosene oil, furnace oil, residual fuel, low sulphur heavy stocks, heavy petroleum stocks and all its variants but excluding kerosene oil of public distribution system.
12- Clinker.
13- Motor vehicles of all kinds including chassis thereof but excluding tractors.
14- Iron and steel as defined in section 14 of the Central Sales Tax Act, 1956.
15- Aluminium and its products excluding aluminium utensils.
16- Cables of all kinds.
17- Laptops, computer system and peripherals, TV including LCD TV.
18- Tyres and tubes excluding tyres and tubes of cycles, cycle-rickshaw and animal driven vehicles.
19- Marble stones and their tiles.
20- Refrigerators, Air-conditioners and Air-conditioning plants.

By Order,

RAM DATT PALIWAL,
Secretary.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 03 विधायी/04–2009–100+500 (कम्प्यूटर/रीजियो)।